कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 80 / 1-13 देहरादून दिनांक, 23 अप्रैल, 2022

पदोन्नति / तैनाती

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, उत्तराखण्ड के वनादेश सं0 55 / 1–12(29) एच0आर0डी0 दिनांक 05–01–2022 से पात्रता मे शिथिलीकरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1185 / 1–12 दिनांक 07–01–2022 द्वारा प्रधान सहाक के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 10–01–2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित **वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू0 29200–92300 वेतन मैट्रिक्स लेविल–5 के कार्मिकों को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400–1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेविल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति** जनहित में की जाती है :–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	श्री के0डी0एम0कुमार	अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, देहरादून

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
2. कार्मिक पदोन्नति पद पर योगदान वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही देगें।
3. संबंधित कार्मिक अपनी पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि **से 15 दिन के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन** अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है और कार्मिक का **पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा** ।
4. कार्मिक की पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त / योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

सं0 1851 (1) / 1-13 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून
3. मु0व0सं0, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, देहरादून, को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
4. सम्बन्धि मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. अधिष्ठान / गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

I.T.C.C
CCF 23/4